एजेण्डा – 65:1
दिनांक 3.5.2010

# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–जविप्रा / अ.आ. / एल.पी.सी. / 10 / डी–4449

दिनांकः– 8-4-10

## कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की 64 वी बैठक दिनांकः 05.04.10 को प्रातः 12.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें भाग लेने वाले अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय पारित किये गये :–

| क्र. सं | जो. नं. | प्रस्ताव संख्या | विषय | निर्णय |
|---|---|---|---|---|
| 1. | | 64:1 | प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 62वीं बैठक दिनांक 22.01.10 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन एवं 52वीं से 63वीं बैठकों में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति की समीक्षा | **I.** 63वीं बैठक दिनांक 22.02.10:–<br>प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 63वीं बैठक दिनांक 22.02.10 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।<br><br>**II.** 52वीं बैठक दिनांक 1.6.09:–<br>प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 52वीं बैठक दिनांक 1.6.09 में लिये गये निर्णयों की शेष अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा करते समय निम्नांकित निर्णय लिये गये :–<br>i. प्रस्ताव संख्या 52:6 श्री बंशीलाल व श्रीमति मीताक्षी मल्होत्रा को आवंटित भूमि के संबंध में उपायुक्त जोन 12 ने बताया कि बढे हुये क्षेत्रफल को आरक्षित दर की दुगुनी कीमत पर लेने के संबंध में सहमति प्रदान करने हेतु आवंटियों को पत्र जारी कर दिया गया है। किन्तु सहमति अथवा असहमति प्राप्त नहीं हुई है। राज्य सरकार को प्रकरण वास्ते स्वीकृति भिजवाया गया है।<br>ii. प्रस्ताव संख्या 52:7(2) के संबन्ध में सूचना आयोग कार्यालय भवन हेतु प्रस्ताव की अनुपालना के क्रम में जोन उपायुक्त–1 ने अवगत कराया कि संस्थानिक क्षेत्र में विवादित भूखण्ड का कब्जा दिनांक 15.02.10 को लिया जा चुका है। इसके पश्चात माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पर दिनांक 18.02.10 को यथा स्थिति (Status Quo) का आदेश दिया है। उपायुक्त को प्रकरण शीघ्र निस्तारित कराने के निर्देश दिये गये।<br><br>**III.** 59वीं बैठक दिनांक 09.11.09:–<br>प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 59वीं बैठक दिनांक 09.11.09 में लिये गये निर्णयों की शेष अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा करते समय निम्नांकित निर्णय लिये गये :–<br>i. प्रस्ताव सख्या 59:4 जविप्रा की पालडी मीणा योजना में बढे हुए क्षेत्रफल के आवंटन के संबंध में उक्त क्षेत्र नया जयपुर से प्रभावित होने के कारण उपायुक्त द्वारा राज्य सरकार से मार्ग दर्शन चाहा गया है। प्राप्त होने पर पालना रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की जावे। |

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **IV. 61वीं बैठक दिनांक 24.12.09:–**<br>प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 61वीं बैठक दिनांक 24.12.09 में लिये गये निर्णयों की शेष अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा करते समय निम्नांकित निर्णय लिये गये :–<br>i. प्रस्ताव संख्या 61:11(1) नेशनल सोसायटी फॉर इंजिनियरिंग रिसर्च एण्ड डवलपमेन्ट जयपुर को सांईस टेक सिटी अचरोल में 30 एकड भूमि निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु आवंटन करने की अभिशंषा उक्त क्षेत्र की आरक्षित दर तय करने के पश्चात राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाई गई है।<br>ii. प्रस्ताव संख्या 61:11(3) इंस्टीट्यूट ऑफ इंजिनियरिंग एण्ड मेनेजमेन्ट ट्रस्ट कलकत्ता के संबंध में निर्णय लिया गया कि सांईस टेक सिटी अचरोल में 30 एकड भूमि निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु आवंटन करने की अभिशंषा उक्त क्षेत्र की आरक्षित दर तय करने के पश्चात् राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाई गई है।<br><br>**V. 63वीं बैठक दिनांक 22.02.10:–**<br>I. प्रस्ताव संख्या 63:2 चित्रकूट योजना के भूखण्ड संख्या 6/339 क्षेत्रफल 198 वर्गमीटर के स्थान पर भूखण्ड संख्या 6/294 क्षेत्रफल 198 वर्गमीटर विनिमय करने बाबत। प्रार्थीया श्रीमती मुक्ता कुल श्रेष्ठ के बारे में समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रार्थीया को चित्रकूट योजना के भूखण्ड संख्या 6/339 क्षेत्रफल 198 वर्गमीटर के स्थान पर भूखण्ड संख्या 6/294 क्षेत्रफल 198 वर्गमीटर विनिमय किया जावे। भूखण्ड संख्या 6/339 जिसका क्षेत्रफल मौके पर 142.89 वर्गमीटर रह गया है उसे नीलाम किया जावे एवं कार्नर भूखण्ड संख्या 6/329 के भूखण्डधारी द्वारा 1.20 मीटर चौडाई में अधिक निर्माण कर अतिक्रमण किये गये क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया जावे। उपायुक्त द्वारा अतिक्रमण हटाने हेतु प्रवर्तन शाखा को लिखा गया है व भूखण्ड की नीलामी हेतु अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण) को लिखा गया है। संबंधित प्रकोष्ठ के द्वारा शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश आयुक्त महोदय द्वारा दिये गये। |
| 2. | 13 | 64:2 | अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिहीन एवं विकलांग संस्थान को ग्राम कानोता के खसरा नं. 624 मे से 4000 वर्गमीटर भूमि का आवंटन करने हेतु। | समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि संस्था प्रधान को प्रस्तुतीकरण देने हेतु आगामी बैठक में बुलाया जावे। |
| 3. | 13 | 64:3 | हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कॉरपोरेशन लि., को ग्राम देव का हरमाडा/आमेर में भूमि आवंटन बाबत। | ग्राम देवका हरमाडा तहसील आमेर में प्रस्तावानुसार 88 वर्गमीटर भूमि जोन की वाणिज्यिक आरक्षित दर पर आवंटन की अभिशंषा राज्य सरकार को करने का निर्णय लिया गया। |

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4. | 12 | 64:4 | भूखण्ड सं. सी–159 आनंद लोक योजना क्षेत्रफल 45.00 व.मी. का मौके पर क्षेत्रफल बढ़ जाने के कारण अन्य भूखण्ड विनिमय में दिये जाने बाबत। | प्रस्तावानुसार भूखण्ड सं. सी–159 के स्थान पर भूखण्ड सं. सी–174 क्षेत्रफल 45 वर्गमीटर विनिमय का निर्णय लिया गया। |
| 5. | 10 | 64:5 | नारायण हृदयालय इन्सटीट्यूट ऑफ कार्डियक साईंस बैंगलोर को जयपुर में हैल्थ सिटी की स्थापना हेतु आवंटित भूमि 35 एकड़ में से 10 एकड़ आवंटन करनें एवं 25 एकड़ भूमि प्राधिकरण के हक में पूर्व आवंटन में से समर्पण स्वीकार करने बाबत। | **प्रस्तावानुसार संस्था को ग्राम बगराना में आवंटित 35 एकड़ भूमि में से 25 एकड़ भूमि जविप्रा के पक्ष मे समर्पण का निर्णय लिया गया।** |
| 6. | 7 | 64:6 | जय विश्वनाथ जन कल्याण संस्थान को आवंटित भूमि पर निर्माण अवधि बढ़ाने बाबत। | समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि संस्था से पुर्नग्रहण शुल्क लिया जाकर निर्माण अवधि दिनांक 31.12.10 तक बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की जावे। |
| 7. | 8 | 64:7 | नोबल नेशनल पब्लिक स्कूल समिति जयपुर 261, श्री गोपाल नगर, 80 फीट रोड महेश नगर जयपुर को वृद्धाश्रम एवं प्रशिक्षण महाविद्यालय हेतु भूमि आवंटन/मांग पत्र को निरस्त करने बाबत। | प्रस्तावानुसार आवंटन निरस्त करने का निर्णय लिया गया। |
| 8. | 9 | 64:8 | इण्डोफेंच कल्चरल सोसायटी को एलपीसी की 44वीं बैठक दिनांक 13.02.08 को आवंटित भूमि के संबंध में मंत्रीमंडलीय उप समिति के निर्णय दिनांक 09.02.10 के अनुसरण में भूमि आवंटन के संबंध में समीक्षा कर निर्णय करने बाबत। | प्रकरण को समिति द्वारा समीक्षा की गई। संस्था को एलपीसी की 44वीं बैठक दिनांक 13.02.08 को 3000 वर्गमीटर भूमि संस्थानिक दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया था। संस्था ने 10 प्रतिशत राशि 1268448/– रू. दिनांक 20.05.08 को जमा कराई। ततपश्चात् प्रकरण मंत्रीमंडलीय उप समिति के समक्ष प्रस्तुत होने पर राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. –3(481)नविवि/3/08 जयपुर दिनांक 29.02.08 द्वारा संस्थानिक आरक्षित दर 3000/–रू. प्रति वर्गमीटर की 25 प्रतिशत दर पर आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गई। संस्था द्वारा देय राशि 2191027/–रू. दिनांक 22.10.08 को राजकोष में जमा कराई गई। समिति द्वारा आवंटन की अभिशंषा के साथ आवंटन दर निर्धारित करने हेतु राज्य सरकार को प्रकरण भिजवाने का निर्णय लिया गया। |
| 9. | 9 | 64:9 | नारी चेतना समिति को वृद्धाश्रम केन्द्र की स्थापना हेतु रामनगरिया योजना में 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन के संबंध में। | समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि रामनगरिया योजना के ब्लाक ए में पार्क एवं अन्य सुविधा हेतु आरक्षित भूखण्ड जिसका क्षेत्रफल लगभग 5600 वर्गमीटर है, में से Land Use Change व रिप्लानिंग करवाई जाकर पी.डब्ल्यू.सी. से अनुमोदन की प्रत्याशा में 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन की अभिशंषा के साथ राज्य सरकार को भिजवाई जावे। |
| 10. | 9 | 64:10 | औधोगिक क्षेत्र के विकास के लिये रीको को ग्राम रामचन्द्रपुरा, विधाणी, जयसिंहपुरा एवं विमलपुरा में 4.12 हैक्टयर भूमि आवंटन बाबत। | प्रस्तावानुसार डी.एल.सी. दर पर आवंटन की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया। |

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11. | 8 | 64:11 | जयपुर शहर में नई पुलिस लाईन हेतु खसरा नं. 201, 241, 247, 243, 249 व 250 में से 5.99 हैक्टयर भूमि ग्राम जोतडावाला तहसील सांगानेर में आवंटन बाबत। | प्रस्तावानुसार जयपुर शहर में नई पुलिस लाईन हेतु खसरा नं. 201, 241, 247, 248, 249 व 250 में से 5.99 हैक्टयर भूमि ग्राम जोतडावाला तहसील सांगानेर में से 15000 वर्गमीटर भूमि योजना मानचित्र का पी.डब्ल्यू.सी. की बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन की अभिशंषा के साथ राज्य सरकार को भिजवाया जावे। |
| 12. | 10 | 64:12 | राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर के स्वामित्व की भूमि ग्राम जामडोली के खसरा नं. 4/1 व 4/2 क्षेत्रफल 10595.07 वर्गमीटर (1.06 है0) भूमि को घाट की गूणी टनल निर्माण हेतु लिये जाने एवं बदले में प्राधिकरण की ग्राम बगराना में खसरा नं. 248 में 17 बीघा भूमि को निगम को आगार व बस स्टैण्ड बनाने के लिये आवंटन करने बाबत (कार्योतर स्वीकृति बाबत)। | ग्राम जामडोली के खसरा नं. 4/1 व 4/2 क्षेत्रफल 10595.07 वर्गमीटर (1.06 है0) भूमि के बदले ग्राम बगराना में खसरा नं. 248 में 17 बीघा भूमि आवंटन की स्वीकृति माननीय मंत्री महोदय नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा दी जाने पर दिनांक 12.03.10 को आवंटन पत्र जारी किया जा चुका है। कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। |
| 13. | 8 | 64:13 | ई.पी. के सामने 200 फीट रोड निर्माण में आ रही दुकान संख्या 52, 53 एवं 54 (प्रत्येक 50 वर्गगज) को हटाये जाने पर दुकान के बदले दुकान देने बाबत। | भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 44वीं बैठक दिनांक 15.02.08 में दुकान सं. 53 के सर्वेधारी श्री जगदीश शर्मा को टोंक रोड स्थित सुखपुरिया ग्राम में जविप्रा के स्वामित्व की दुकानो में से एक दुकान 13.50 वर्गमीटर आवंटन का निर्णय लिया जा चुका है। पुनः विचार–विमर्श कर रिक्त दुकानों में से एक दुकान क्षेत्रफल 13.50 वर्गमीटर को वाणिज्यिक आरक्षित दर 35000/–रू. प्रति वर्गमीटर की दर पर आवंटन की अभिशंषा सहित प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया। |

**आयुक्त महोदय की अनुमति से निम्न अतिरिक्त एजेण्डा पर चर्चा कर निर्णय लिये गये :–**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | 64:13(1) | बालमुकन्दपुरा आवासीय योजना में भूखण्ड सं. बी–126 के स्थान पर भूखण्ड सं. बी–1ए के विनिमय बाबत। | प्रस्तावानुसार विनिमय का निर्णय लिया गया। |
| 2. | 9 | 64:13(2) | रामनगरिया विस्तार योजना में गैलेण्ट्री अवार्ड धारको को रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन बाबत। | एलपीसी की 45वीं बैठक दिनांक 24.03.08 के निर्णयानुसार 13 प्रकरणों में तथा एलपीसी की बैठक दिनांक 09.11.09 व 03.12.09 में 5 प्रकरणों में गैलेण्ट्री अवार्ड धारको, राष्ट्रीय/अन्तराष्ट्रीय खिलाडियों, अर्जुन अवार्डी व स्वतन्त्रता सैनानीयों को रामनगरिया विस्तार योजना में प्रत्येक को 220 वर्गमीटर भूमि आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत पर आवंटन का निर्णय लिया गया था। नगरीय विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक प.–3(54)नविवि/3/08 दिनांक 16.02.08 के द्वारा उक्त श्रेणी के आवेदकों को कॉर्नर भूखण्ड आवंटन करने की स्वीकृति एवं अतिरिक्त भूमि की निर्धारित आरक्षित दर की 20 प्रतिशत अतिरिक्त राशि लेकर आवंटन की स्वीकृति दी गई थी। इनमे श्रीमती कृष्णा पुनिया का नाम दो बार आ जाने से अब 17 आवेदकों के प्रार्थना पत्र विचाराधीन है। अतः उक्त 17 प्रकरणों की सूची राज्य सरकार के पूर्व पत्र के संदर्भ में आवंटन की अभिशंषा के साथ भिजवाई जावे। |

अति० आयुक्त (भू.नी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3. | 9 | 64:13(3) | रघुकुल शोध एवं तकनीकी संस्थान को महिला कॉलेज हेतु 43वीं बैठक दिनांक 15.12.07 के निर्णय पर पुर्नविचार कर आवंटित भूमि की मात्रा एवं दर निर्धारण बाबत। | संस्था के प्रतिनिधी को प्रस्तुतीकरण देने हेतु आगामी बैठक में बुलाने का निर्णय लिया गया। |
| 4. | 2 | 64:13(4) | हाल सं. 1 फतेहसिंह की धर्मशाला की छत का आवंटन हेतु। प्रार्थी श्री मोहित कुमार अग्रवाल। | हाल सं. 1 की छत पर अवैध निर्माण को हटाने की कार्यवाही करने हेतु मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन) को लिखने एवं तत्पश्चात उक्त छत को नीलामी द्वारा विक्रय करने का निर्णय लिया गया। |
| 5. | 9 | 64:13(5) | CUTS Institute for Regulary Reforms के स्थान पर CUTS Institute for Regulation & Competition के नाम से परिवर्तित कर आवंटन बाबत। | बी.आई.पी. को जोन स्तर से तथ्यात्मक टिप्पणी भिजवाने का निर्णय लिया गया। |
| 6. | 5 | 64:13(6) | राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय स्कीम 10बी को त्रिवेणी नगर के सुविधा क्षेत्र में भूमि आवंटन बाबत। | राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय स्कीम 10बी को त्रिवेणी नगर के सुविधा क्षेत्र में 500 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया। |

सदस्य सचिव (एल.पी.सी.)
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
3. जिला कलक्टर, जयपुर
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
5. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
8. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
9. निदेशक(वित्त / अभि0 / आयोजना), जविप्रा, जयपुर
10. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व / [illegible] / एल.पी.सी. / भूमि), जविप्रा, जयपुर
11. अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
12. उपायुक्त जोन—1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
13. जन सम्पर्क विशेषाधिकारी, जविप्रा, जयपुर
14. रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव (एल.पी.सी.)
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

6

परिशिष्ट 'अ'

# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

## उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 64वी बैठक दिनांक 05.04.10 में उपस्थित अधिकारियों की सूचीः–

| क्र.सं. | नाम अधिकारी मय पद | एल.पी.सी. में पद |
|---|---|---|
| 1. | श्री सुधांश पंत, आयुक्त | अध्यक्ष |
| 2. | श्रीमति गायत्री राठौड, सचिव | सदस्य |
| 3. | श्री डी.सी. जबडा निदेशक (वित्त) | सदस्य |
| 4. | श्री ओ.पी. दोराया निदेशक (अभियांत्रिकी) | सदस्य |
| 5. | श्री शफी मोहम्मद कुरेशी, अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व एवं एलपीसी) | सदस्य सचिव |
| 6. | श्रीमती दुर्गा जोशी, अतिरिक्त आयुक्त (भूमि) | सदस्य |
| 7. | श्रीमती शुचि शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) | सदस्य |
| 8. | श्री जाकिर हुसेन, अतिरिक्त निदेशक (राजस्व सम्पत्ति निस्तारण) | विशेष आमंत्रित |
| 9. | श्री नरेन्द्र सिंह, उपायुक्त जोन–2 | विशेष आमंत्रित |
| 10. | श्री एस मित्रा, उपायुक्त जोन–7 | विशेष आमंत्रित |
| 11. | श्री ह्रदेश कुमार शर्मा, उपायुक्त जोन–8 | विशेष आमंत्रित |
| 12. | श्री अनिल अग्रवाल, उपायुक्त जोन–9 | विशेष आमंत्रित |
| 13. | श्री बाबू लाल गोयल, उपायुक्त जोन–11 | विशेष आमंत्रित |
| 14. | श्री पुरूषोत्तम शर्मा, उपायुक्त जोन–12 | विशेष आमंत्रित |
| 15. | श्री पी0सी0 शर्मा उपायुक्त जोन–13 | विशेष आमंत्रित |
| 16. | श्रीमती साधना शर्मा, एस.टी.पी. (प्रोजेक्ट) | विशेष आमंत्रित |
| 17. | श्री भंवर सिंह, तहसीलदार जोन–10 | विशेष आमंत्रित |